रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 830] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2002/भाद्र 29, 1924
No. 830] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2002/BHADRA 29, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2002

का.आ. 1020(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) की धारा 13 की उपधारा (4), उपधारा (10) और उपधारा (12) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'प्राधिकृत अधिकारी' से किसी पब्लिक सैक्टर बैंक का मुख्य प्रबंधक या समतुल्य से अन्यून कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जैसा यथास्थिति प्रतिभूत लेनदार के निदेशक बोर्ड या न्यासी बोर्ड या प्रतिभूत लेनदार के कारबार या कार्यकलापों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अध्यादेश के अधीन प्रतिभूत लेनदार के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो ;

(ख) 'मांग नोटिस' से यथास्थिति किसी प्रतिभूत लेनदार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अध्यादेश की धारा 13 की उपधारा (2) के अनुसरण में किसी उधार लेने वाले को जारी किया गया कोई लिखित नोटिस अभिप्रेत है;

(ग) 'अध्यादेश' से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा अध्यादेश) 2002 (2002 का अध्यादेश 3) अभिप्रेत है;

(घ) 'अनुमोदित मूल्यांकक' से यथास्थिति प्रतिभूत लेनदार के निदेशक बोर्ड या न्यासी बोर्ड में यथा अनुमोदित मूल्यांकक अभिप्रेत है;

(ङ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अध्यादेश में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अध्यादेश में हैं ।

3. **मांग नोटिसः-** (1) अध्यादेश की धारा 13 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मांग नोटिस की तामील उस स्थान पर, जहां उधार लेने वाला या उधार लेने वाले की ओर से नोटिस या दस्तावेज स्वीकार करने के लिए सशक्त उसका अभिकर्ता वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता है, उधार लेने वाले को या तामील स्वीकार करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को संबोधित, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, या कुरियर द्वारा अथवा दस्तावेजों के परेषण के किसी अन्य साधन जैसे फैक्स संदेश या इलैक्ट्रानिकी डाक सेवा द्वारा, परिदत्त करके या परेषित करके की जाएगी:

परंतु जहां प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उधार लेने वाला या उसका अभिकर्ता नोटिस की तामील से बच रहा है या किसी अन्य कारण से यथा पूर्वोक्त तामील नहीं की जा सकती है, तो तामील उस मकान या भवन के जिसमें उधार लेने वाला या उसका अभिकर्ता साधारणतया निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता है, बाहर के दरवाजे पर या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर मांग नोटिस की प्रति चिपकाकर और मांग नोटिस की अन्तर्वस्तुएं दो समाचार पत्रों में, एक देशी भाषा में, जिसका उस परिक्षेत्र में पर्याप्त परिचालन हो, प्रकाशित करके भी की जाएगी ।

(2) जहां उधार लेने वाला निगमित निकाय है, वहां मांग नोटिस की तामील उपनियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट साधनों द्वारा निगमित निकाय के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या उसकी शाखाओं में से किसी एक पर, की जाएगी ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उधार लेने वाले पर या उसके अभिकर्ता पर तामील की जाने वाली किसी अन्य लिखित सूचना की तामील उसी रीति से की जाएगी जो इस नियम में यथाउपबंधित है ।

(4) जहा एक उधार लेने वाले से अधिक हैं, वहां मांग नोटिस की तामील प्रत्येक उधार लेने वाले पर की जाएगी

4. नोटिस जारी **करने के पश्चात् प्रक्रिया-** यदि मांग नोटिस में वर्णित रकम का उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी जंगम संपत्ति का कब्जा लेने के लिए अध्यादेश की धारा 13 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अध्युपायों में से किसी एक या अधिक को अपनाकर रकम वसूल करने के लिए अग्रसर होगाः-

(1) जहां प्रतिभूत आस्तियाँ जिनका कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया जाने वाला है, उधार लेने वाले के कब्जे में जंगम संपत्ति हैं, वहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जंगम संपत्ति का कब्जा इन नियमों के परिशिष्ट - I में यथा संभव निकटतम रूप से पंचनामा तैयार किए जाने और दो साक्षियों द्वारा उसे हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् दो साक्षियों की उपस्थिति में लेगा ।

(2) उक्त उपनियम (1) के अधीन कब्जा लेने के पश्चात्, प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों के परिशिष्ट II में दिए गए प्ररूप में यथासंभव निकटतम रूप से संपत्ति की एक तालिका बनाएगा या बनवाएगा और उधार लेने वाले को या उधार लेने वाले की ओर से प्राप्त करने के लिए हकदार किसी व्यक्ति को ऐसी तालिका की प्रति का परिदान करेगा या करवाएगा ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी उपनियम (1) के अधीन कब्जे में ली गई संपत्ति को या तो अपनी अभिरक्षा में या उसके द्वारा प्राधिकृत या नियुक्त किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में रखेगा जो अपनी अभिरक्षा संपत्ति की वैसे ही देखरेख करेगा जैसे सामान्य प्रज्ञा वाला स्वामी, वैसी ही परिस्थितियों में, ऐसी संपत्ति की करता ।

परतु यदि ऐसी संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है या ऐसी संपत्ति के अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना है तो प्राधिकृत अधिकारी उसका तुरंत विक्रय कर सकेगा ।

(4) प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूत आस्तियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए उपाय करेगा और उनका विक्रय या अन्यथा व्ययन होने तक उनका, यदि आवश्यक हो तो, बीमा कराएगा ।

(5) यदि कोई प्रतिभूत आस्तिः-

(क) कोई ऋण है जो परक्राम्य लिखत द्वारा प्रत्याभूत नहीं है या

(ख) किसी निगमित निकाय में शेयर है;

(ग) अन्य जंगम संपत्ति है जो उधार लेने वाले के कब्जे में नहीं है, उस संपत्ति को छोड़कर जो किसी न्यायालय या किसी वैसे ही प्राधिकारण के पास जमा है या उसकी अभिरक्षा में है, वहां प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित रूप में उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा या नोटिस की तामील द्वारा ऋण की वसूली करेगाः-

(i) किसी ऋण की दशा में उधार लेने वाले का ऋण या ब्याज की वसूली से और ऋणी का उसका संदाय करने से, प्रतिषेध करके और ऋणी को प्राधिकृत अधिकारी को ऐसा संदाय करने के लिए निदेशित करके; या

(ii) किसी निगमित निकाय में शेयरों की दशा में, उधार लेने वाले को प्रतिभूत लेनदार को उनका अन्तरण करने का और निगमित निकाय को प्रतिभूत लेनदार से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में ऐसे शेयरों का अन्तरण न करने का निदेश देकर । इस प्रकार भेजे गए नोटिस की प्रति को सम्बन्धित निगमित निकाय के निर्गम-रजिस्ट्रार को या शेयरों का अन्तरण करने वाले अभिकर्ताओं को पृष्ठांकित किया जा सकेगा ।

(iii) अन्य जंगम संपत्ति की दशा में (यथापूर्वोक्त को छोड़कर) उधार लेने वाले और कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसे किसी प्राधिकृत अधिकारी को सौंपने के लिए अपेक्षा करके और प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जंगम संपत्ति को अभिरक्षा में उसी रीति से लेगा जो उपनियम (1) से उपनियम (3) में उपबंधित की गई है ।

(iv) इस नियम के अन्तर्गत आने वाली से भिन्न जंगम प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, ऐसी प्रतिभूत आस्तियों के हक का साक्ष्य देने वाले दस्तावेजों का कब्जा लेकर, लिया जाएगा ।

5. जंगम प्रतिभूत **आस्तियों का मूल्यांकन** नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन कब्जा लेने के पश्चात् और किसी भी दशा में विक्रय के पूर्व, प्राधिकृत अधिकारी जंगम प्रतिभूत आस्तियों का प्राकलित मूल्य अभिप्राप्त करेगा और तत्पश्चात्, यदि आवश्यक समझा जाए तो, प्रतिभूत लेनदार के साथ परामर्श करके, प्रतिभूत लेनदार के शोध्यों के वसूलीकरण में विक्रय की जाने वाली आस्तियों की आरक्षित कीमत तय करेगा ।

6. जंगम प्रतिभूत **आस्तियों का विक्रय** (1) प्राधिकृत अधिकारी एक या अधिक लाटों में नियम 4 के उपनियम(1) के अधीन कब्जा ली गई प्रतिभूत जंगम आस्तियों का, विक्रय की जाने वाली आस्तियों के लिए अधिकतम विक्रय कीमत प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी को अपनाकर विक्रय कर सकेगा-

(क) प्रतिभूत आस्तियों में संव्यवहार करने वाले या ऐसी आस्तियों का क्रय करने में अन्यथा हितबद्ध पक्षकारों से कोटेशन अभिप्राप्त् करके; या

(ख) जनता से निविदाएं आमंत्रित करके; या

(ग) सार्वजनिक नीलामी करके; या

(घ) प्राइवेट संधि द्वारा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी उपनियम (1) के अधीन जंगम प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय के लिए उधार लेने वाले पर तीस दिन के नोटिस की तामील करेगाः

यदि ऐसी प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या तो जनता से निविदाएं आमंत्रित करके या सार्वजनिक नीलामी करके किया जाता है, तो प्रतिभूत लेनदार दो प्रमुख समाचार पत्रों में, एक देशी भाषा में जिसका उस परिक्षेत्र में पर्याप्त परिचालन हो, ऐसे विक्रय निबंधन उपवर्णित करते हुए, सार्वजनिक नोटिस दिलवाएगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) उधार लेने वाले और प्रतिभूत लेनदार के बारे में ब्यौरे;

(ख) विक्रय की जाने वाली जंगम प्रतिभूत आस्तियों का, उन पर पहचान चिन्हों या संख्याओं सहित, यदि कोई हो, वर्णन;

(ग) आरक्षित कीमत, यदि कोई हो, और संदाय का समय और रीति;

(घ) सार्वजनिक नीलामी का समय और स्थान या वह समय जिसके पश्चात् किसी अन्य तरीके से विक्रय पूर्ण किया जाएगा;

(ङ) अग्रिम धन, जिसे प्रतिभूत लेनदार द्वारा अनुबद्ध किया जाए, जमा करने का ब्यौरा ।

(च) कोई अन्य वस्तु जिसे प्राधिकृत अधिकारी क्रेता के लिए जंगम प्रतिभूत आस्तियों की प्रकृति और मूल्य का निर्णय करने के लिए, जानने के लिए तात्विक समझता है ।

(3) सार्वजनिक नीलामी या सार्वजनिक निविदा से भिन्न किसी अन्य पद्धति द्वारा विक्रय ऐसे निबंधनों पर होगा जो पक्षकारों के बीच लिखित रूप से तय किए जाएं ।

के प्रमाण पत्र **का जारी करना-** (1) जहां जंगम प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय किया जाता है, वहां त्येक लॉट की विक्रय कीमत का संदाय सार्वजनिक नोटिस के निबंधनों के अनुसार या ऐसे निबंधनों पर, ो यथास्थिति पक्षकारों के बीच तय पाए जाएं, किया जाएगा और संदाय के व्यतिक्रम की दशा में जंगम ेभूत आस्तियां पुनः विक्रय किए जाने की दायी होंगी;

विक्रय कीमत के संदाय पर, प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों के परिशिष्ट III में दिए गए विहित रूप में, विक्रय की गई जंगम प्रतिभूत आस्तियों, संदत्त की गई कीमत और क्रेता का नाम विनिर्दिष्ट करते हुए विक्रय का प्रमाण पत्र जारी करेगा और तत्पश्चात् विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा । इस प्रकार जारी किया गया विक्रय का प्रमाण पत्र क्रेता के हक का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा ।

(3) जहां जंगम प्रतिभूत आस्तियां वे हैं, जो अध्यादेश की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के उपखंड (iii) से (v) में निर्दिष्ट है, वहां इन नियमों और नियम 7 में अंतर्विष्ट उपबंध जो, जंगम प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय से संबंधित है, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी आस्तियों को लागू होंगे ।

8. स्थावर प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय -- (1) जहां प्रतिभूत आस्ति कोई स्थावर संपत्ति है, वहां प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों के परिशिष्ट IV में यथासंभव निकटतम रूप से तैयार किया गया कब्जे की सूचना उधार लेने वाले को परिदत्त करके और बाहर के दरवाजे पर या कब्जा सूचना को संपत्ति के ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर, कब्जा लेगा या कब्जा दिलाएगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उपनियम (1) में निर्दिष्ट कब्जा सूचना दो प्रमुख समाचार पत्रों में, एक देशी भाषा में, जिसका उस परिक्षेत्र में पर्याप्त परिचालन है, प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्ति का वास्तविक कब्जा लिए जाने की दशा में, ऐसी सपंत्ति उसकी स्वयं की अभिरक्षा में या उसके द्वारा प्राधिकृत या नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखी जाएगी, जो अपने कब्जे में संपत्ति की उतनी ही देखभाल करेगा, जितनी वैसी ही परिस्थितियों में मामूली प्रज्ञा वाला कोई स्वामी अपनी संपत्ति की देखभाल करता ।

(4) प्राधिकृत अधिकारी आस्तियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए उपाय करेगा और यदि आवश्यक हो, तो उनका विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटारा किए जाने तक उनका बीमा कराएगा ।

(5) प्राधिकृत अधिकारी, नियम 9 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का विक्रय करने से पूर्व किसी अनुमोदित मूल्यांकक से संपत्ति का मूल्यांकन अभिप्राप्त करेगा और प्रतिभूत लेनदार से परामर्श करके संपत्ति की आरक्षित कीमत नियत करेगा और ऐसी स्थावर प्रतिभूत संपत्ति को पूर्णतः या उसके किसी भाग को निम्नलिखित रीतियों में से, किसी में विक्रय कर सकेगा :--

(क) वैसी ही प्रतिभूत आस्तियों से व्यौहार करने वाले व्यक्ति या ऐसी आस्तियों का क्रय करने में अन्यथा हितबद्ध व्यक्ति से, कोटेशन अभिप्राप्त करके ; या

(ख) जनता से निवदाएं आमंत्रित करके ; या

(ग) सार्वजनिक नीलामी करके ; या

(घ) प्राइवेट संधि द्वारा ।

(6) प्राधिकृत अधिकारी, उधार लेने वाले को स्थावर प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय के लिए उपनियम (5) के अधीन तीस दिन की सूचना की तामील करेगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसी प्रतिभूत आस्ति का विक्रय जनता से निविदाएं आमंत्रित करके या सार्वजनिक नीलामी करके किया जाता है, तो प्रतिभूत लेनदार विक्रय के निबंधन तय करते हुए दो प्रमुख समाचार पत्रों में, एक देशी भाषा में, जिसका उस परिक्षेत्र में पर्याप्त परिचालन है, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराएगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा,-

(क) विक्रय की जाने वाली स्थावर संपत्ति का वर्णन, जिसके अंतर्गत प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात विल्लंगमों के ब्यौर भी हैं ;

(ख) वसूली के लिए प्रतिभूत ऋण जिसके लिए संपत्ति का विक्रय किया जाना है ;

(ग) वह आरक्षित कीमत, जिससे कम पर संपत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकेगा ;

(घ) सार्वजनिक नीलामी का समय और स्थान या वह समय, जिसके पश्चात् किसी अन्य रीति से विक्रय पूरा किया जाएगा ;

(ङ) जमा की जाने वाली अग्रिम धनराशि, जो प्रतिभूत लेनदार द्वारा नियत की जाए ;

(च) कोई अन्य बात जिसे प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति की प्रकृति और मूल्य को जानने के लिए किसी क्रेता को ज्ञात कराना सारवान् समझे ।

(7) विक्रय की प्रत्येक सूचना स्थावर संपत्ति के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी और यदि प्राधिकृत अधिकारी इसे ठीक समझे, तो इसे प्रतिभूत लेनदार के इंटरनेट की वेबसाइट पर प्रेषित किया जाएगा ।

(8) वास्तविक नीलामी या सार्वजनिक निविदा से भिन्न किसी अन्य रीति द्वारा विक्रय ऐसे निबंधनों पर होगा, जो पक्षकारों के बीच लिखित में तय पाई जाएं ।

9. विक्रय का समय, विक्रय प्रमाणपत्र जारी करना और कब्जा आदि का परिदान-- (1) इन नियमा के अधीन स्थावर संपत्ति का विक्रय, उस तारीख से, जिसको विक्रय की सार्वजनिक सूचना उपनियम (6) के परन्तुक में यथानिर्दिष्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है या उधार लेने वाले को विक्रय की सूचना की तामील कर दी जाती है, के तीस दिन के अवसान से पूर्व नहीं किया जाएगा ।

(2) विक्रय की ऐसे क्रेता के पक्ष में पुष्टि की जाएगी, जिसने प्राधिकृत अधिकारी को अपनी बोली या निविदा या कोटेशन या प्रस्थापना में उच्चतम विक्रय कीमत की प्रस्थापना की है और यह प्रतिभूत लेनदार द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन होगी :

परन्तु यह कि यदि विक्रय कीमत द्वारा प्रस्थापित रकम नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आरक्षित कीमत से कम है, तो इस नियम के अधीन किसी विक्रय की पुष्टि नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि प्राधिकृत अधिकारी आरक्षित कीमत से उच्चतर कीमत अभिप्राप्त करने में असफल रहता है, तो वह उधार लेने वाले और प्रतिभूत लेनदार की सहमति से ऐसी कीमत पर विक्रय कर सकेगा ।

(3) स्थावर संपत्ति के प्रत्येक विक्रय पर, क्रेता तुरन्त विक्रय कीमत की रकम का पचीस प्रतिशत का निक्षेप, विक्रय का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को करेगा और ऐसे निक्षेप के व्यतिक्रम में, संपत्ति का तत्काल पुनः विक्रय किया जाएगा ।

(4) क्रेता द्वारा संदेय क्रय कीमत की अवशेष रकम का संदाय प्राधिकृत अधिकारी को, स्थावर संपत्ति के विक्रय की पुष्टि के पन्द्रहवें दिन या उससे पूर्व या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो पक्षकारों के बीच लिखित में करार पाई जाए, किया जाएगा ।

(5) उपनियम (4) में वर्णित अवधि के भीतर संदाय के व्यतिक्रम में, निक्षेप समपहृत हो जाएगा और संपत्ति का पुनः विक्रय किया जाएगा तथा व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के ऐसी रकम के किसी भाग पर जिसके लिए पश्चातवर्ती विक्रय किया जाए, सभी दावे समपहृत हो जाएंगे ।

(6) प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की पुष्टि किए जाने पर और यदि संदाय के निबंधनों का अनुपालन किया गया है, तो विक्रय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्राधिकृत अधिकारी, इन नियमों के परिशिष्ट 5 में दिए प्ररूप में क्रेता के पक्ष में स्थावर संपत्ति के विक्रय का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(7) जहां विक्रय की गई स्थावर संपत्ति किसी विल्लंगम के अध्यधीन है, प्राधिकृत अधिकारी, यदि ठीक समझे, क्रेता को उसके पास, विल्लंगम और उस पर देय किसी ब्याज का ऐसी किसी अतिरिक्त रकम के साथ, जो आकस्मिकताओं या और लागत, व्ययों और ब्याज जो, उसके द्वारा अवधारित की जाए को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकेगी के उन्मोचन के लिए अपेक्षित धन का निक्षेप अनुज्ञात कर सकेगा ।

(8) विल्लंगमों के उन्मोचन के लिए धन के ऐसे निक्षेप पर, प्राधिकृत अधिकारी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचनाएं जारी कर सकेगा या क्रेता से जारी करवाएगा या उसके पास धन का निक्षेप कराने के लिए उसे हकदार बनाएगा और तद्नुसार संदाय करने के लिए उपाय करेगा ।

(9) प्राधिकृत अधिकारी उपर्युक्त उपनियम (7) में यथा विनिर्दिष्ट धन के निक्षेप किए जाने पर प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात विल्लंगमों से मुक्त संपत्ति क्रेता को परिदत्त करेगा ।

(10) उपनियम (6) के अधीन जारी विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्टतया उल्लेख होगा कि क्या क्रेता ने प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात किन्हीं विल्लंगमों से मुक्त स्थावर सपंत्ति का क्रय किया है या नहीं ।

10. प्रबंधक की नियुक्ति-- (1) यथास्थिति, निदेशक बोर्ड या न्यास बोर्ड, उधार लेने वाले के परामर्श से किसी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रबंधक कहा गया है) ऐसी प्रतिभूत आस्तियों का, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है, प्रबंध करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, निदेशक बोर्ड या न्यास बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रबंधक उधार लेने वाले का अभिकर्ता समझा जाएगा और उधार लेने वाला प्रबंधक के कृत्यों के कार्य या लोप के लिए तब तक पूर्णतः उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ऐसे कार्य या लोप प्रतिभूत लेनदार या प्राधिकृत अधिकारी के अनुचित हस्तक्षेप के कारण हों ।

(3) प्रबंधक को लिखित में सूचना द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने उधार लेने वाले से प्रतिभूत आस्तियों में से कोई अर्जित की हैं, किसी धन की, जो उधार लेने वाले को शोध्य हो या शोध्य हो सकने के कारण देय हो, वसूली करने की शक्ति होगी ।

(4) प्रबंधक ऐसे व्यक्ति को, जिसने उपनियम (3) के अधीन संदाय किया है, विधिमान्य उन्मोचन उसी प्रकार देगा, मानो उसने उधार लेने वाले को संदाय किया हो ।

(5) प्रबंधक, अध्यादेश की धारा 13 की उपधारा (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा प्राप्त सभी धनों का उपयोजन करेगा ।

11. प्रतिभूत ऋण की कमी की वसूली के लिए प्रक्रिया

(1) अध्यादेश की धारा 13 की उपधारा (10) के अनुसरण में किसी प्रतिभूत लेनदार द्वारा अतिशेष रकम की वसूली के लिए कोई आवेदन ऋण वसूली अधिकरण को इन नियमों के परिशिष्ट 6 में यथा उपाबद्ध प्ररूप में प्राधिकृत अधिकारी या उसके अभिकर्ता या सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी विधि व्यवसायी द्वारा, उस न्यायपीठ के रजिस्ट्रार को, जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका मामला आता है, प्रस्तुत की जाएगी या ऋण वसूली अधिकरण के रजिस्ट्रार को संबोधित करते हुए रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

(2) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन बनाए गए ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के उपबंध उपनियम (1) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन को यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(3) उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन के साथ ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 7 में यथाउपबंधित फीस होगी ।

[फा. सं. 1/3/2002-बी.ओ. I]

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट - 1

[नियम 4(1)]

पंचनामा

हम,

क्रम. सं.	पंच का नाम और पिता/पति का नाम	पता	आयु	व्यवसाय

ऊपर उल्लिखित पंचों ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अधीन ..... के (संस्था का नाम) प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... द्वारा बुलाए जाने पर और उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज ..... बजे श्री / मैसर्स ..... के परिसर में प्रवेश किया और उधार खाता संख्या ..... की बाबत तारीख ..... की मांग-नोटिस में उल्लिखित शोध्यों के संदाय की मांग की तथा उसका संदाय न किए जाने पर हमारी उपस्थिति में ..... बजे और ..... बजे के बीच इस पंचनामें से संलग्न तालिका में यथा वर्णित जंगम संपत्तियों का कब्जा लिया ।

हम यह भी कथन करते है कि कब्जा लिए जाने के दौरान .....
.....

(किसी घटना के होने की दशा में भरा जाएगा)

अतः, हम यह घोषणा करते है कि इसमें उल्लिखित पंचनामें के तथ्य हमारे सर्वोत्तम संप्रेक्षण और जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं ।

1. हस्ताक्षर तारीख समय

   नाम

   पता

2. - यथोक्त -

मेरे समक्ष तैयार किया गया

प्राधिकृत अधिकारी

परिशिष्ट - 2

[नियम 4(2)]

तालिका

उधार खाता संख्या ..... के संबंध में कब्जे में ली गई जंगम संपत्तियों की तालिका

.....

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 और उसके अधीन बनाए गए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अधीन श्री ..... द्वारा, जो उक्त अध्यादेश के अधीन ..... के (संस्था का नाम) प्राधिकृत अधिकारी है, आज तारीख ..... 20.... को ..... बजे के बीच श्री / मैसर्स .....के प्लाट संख्या ..... / गाला सं. ..... / मकान नं. ....., गली सं. ....., ... के परिसर पर कब्जे में ली गई जंगम संपत्तियों की तालिका ।

क्रम. सं.	वस्तु का वर्णन	अनुमानित मूल्य	वह स्थान जहां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई (व्यक्ति का नाम, यदि आवश्यक हो)

पंच :

क्रम. सं.	पंच का नाम और पता	हस्ताक्षर

आज तारीख ..... 20..... को ..... में ..... बजे मेरे द्वारा तैयार किया गया ।

उधार लेने वाले / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट - 3

[नियम 7(2)]

विक्रय प्रमाण-पत्र

(जंगम संपत्ति के लिए)

अद्योहस्ताक्षरी ने, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 के अधीन ..... का (संस्था का नाम) प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ... (प्रतिभूत लेनदार) द्वारा प्रदत्त ..... (वर्णन) वित्तीय सुविधा के मद्दे ..... (उधार लेने वालों के नाम) द्वारा ..... के (प्रतिभूत लेनदार का नाम) पक्ष में प्रतिभूत, निम्नलिखित जंगम संपत्ति का ..... (क्रेता) के पक्ष में ..... (प्रतिभूत लेनदार / संस्था का नाम) की ओर से ..... रुपए (..... रुपए) के संदाय के प्रतिफल स्वरूप विक्रय किया है । अद्योहस्ताक्षरी, पूर्ण विक्रय कीमत की प्राप्ति की अभिस्वीकार करता है और नीचे सूचीबद्ध मदों का परिदान और कब्जा हस्तांतरित करता है ।

गम संपत्ति का विवरण

ह/-

प्राधिकृत अधिकारी

तारीख :

स्थान :

परिशिष्ट - 4

[नियम 8(1)]

कब्जे की सूचना

(स्थावर संपत्ति के लिए)

अद्योहस्ताक्षरी ने, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अधीन ..... का (संस्था का नाम) प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधार लेने वाले श्री ..... / मैसर्स ..... को, तारीख ..... को एक मांग नोटिस उसमें उल्लिखित रकम का, जो ..... रु. (..... रुपए) है, उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रतिदाय करने की मांग करने के लिए जारी की थी ।

उधार लेने वाले द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, उधार लेने वाले और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने, उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आज तारीख ..... 20.... को इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है ।

उधार लेने वाले को और विशिष्ट रूप से और जनसाधारण को इसके द्वारा सावधान किया जाता है कि वह संपत्ति के संबंध में व्यौहार करे और संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यौहार ..... रु. की रकम और उसपर ब्याज के लिए ..... (संस्था का नाम के) प्रभार के अधीन होगा ।

स्थावर संपत्ति का वर्णन
संपत्ति के ऐसे सभी भाग, जिसमें फ्लैट सं. ..... / प्लाट सं. ..... समाविष्ट है, जिसका
सर्वेक्षण सं. ..... / शहर या नगर सर्वेक्षण सं. ..... / खसरा सं. ..... है और जो
उप जिला ..... और जिला ..... में रजिस्ट्रीकृत है तथा जिसके
उत्तर में .....
दक्षिण में .....
पूर्व में .....
पश्चिम में ..... है

ह/-
प्राधिकृत अधिकारी
(संस्था का नाम)

तारीख :
स्थान :

परिशिष्ट - 5

[नियम 9(6)]

विक्रय प्रमाण-पत्र

(स्थावर संपत्ति के लिए)

अद्योहस्ताक्षरी ने, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अधीन ..... का (संस्था का नाम) प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 12 के साथ पठित धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे अनुसूची में दर्शित ..... (प्रतिभूत लेनदार का नाम) के पक्ष में प्रतिभूत स्थावर संपत्ति को, ... (प्रतिभूत लेनदार / संस्था का नाम) की ओर से ..... (प्रतिभूत लेनदार) द्वारा प्रस्थापित ..... वित्तीय सुविधा (विवरण) के मद्दे ..... (उधार लेने वालों के नाम) द्वारा ..... (क्रेता) के पक्ष में विक्रय किया । अद्योहस्ताक्षरी, पूर्ण विक्रय कीमत की प्राप्ति अभिस्वीकारकर्ता है और अनुसूचित संपत्ति का परिदान और कब्जा परिदत्त करता है । अनुसूचित संपत्ति का विक्रय अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मांगे गए धन को जमा करने पर नीचे सूचीबद्ध प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप में किया गया था ।

जंगम संपत्ति का वर्णन
संपत्ति के ऐसे सभी भाग, जिसमें फ्लैट सं. ..... / प्लाट सं. ..... समाविष्ट है, जिसका
सर्वेक्षण सं. ..... / शहर या नगर सर्वेक्षण सं. ..... / खसरा सं. ..... है और जो
उप जिला ..... और जिला ..... में रजिस्ट्रीकृत है तथा जिसके
उत्तर में .....
दक्षिण में .....
पूर्व में .....
पश्चिम में ..... है

विल्लंगमों की सूची

1.

2.

ह/-
प्राधिकृत अधिकारी
(संस्था का नाम)

तारीख :
स्थान :

परिशिष्ट - 6

प्ररूप

[नियम 11(1) देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 की धारा 13 की उपधारा (10) के अधीन आवेदन ।

कार्यालय में प्रयोग के लिए

..... फाइल करने की तारीख

..... डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार

ऋण वसूली अधिकरण में

(स्थान का नाम)

क.ख.	और	आवेदक
ग.घ.	के बीच	प्रत्यर्थी

जो लागू न हो उन्हें काट दें ।

आवेदन के ब्यौरे :

1. आवेदक की विशिष्टियां

(i) आवेदक का नाम
(ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
(iii) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता

2. (प्रतिवादी) की विशिष्टियां

(i) (प्रतिवादी) का नाम
(ii) (प्रतिवादी) के कार्यालय का पता
(iii) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता

3. अधिकरण की अधिकारिता

आवेदक यह घोषणा करता है कि ऋण की वसूली की विषय-वस्तु, अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आती है ।

4. परिसीमा

आवेदक यह भी घोषणा करता है कि आवेदन, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 24 में विहित परिसीमाओं के भीतर है ।

5. मामले के तथ्य

मामले के तथ्य नीचे दिए गए है :-
(यहां कालानुक्रम से तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैरा में जहां तक संभव हो पृथक् विवाद्यक, तथ्य या अन्यथा हों ।)

6. प्रतिभूतियों के विक्रय से की गई वसूली का ब्यौरा :

(यहां किए गए विक्रय / विक्रयों का / के प्रतिभूतिवार ब्यौरा और लागत ब्याज तथा मूल राशि के मद्दे विक्रय आगम की वसूली, विनियोग और वसूली की जाने के लिए अधिशेष राशि दें ।

7. मांगा गया (मांगे गए) अनुतोष

ऊपर पैरा 5 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना करता है :-
[नीचे मांगे गए अनुतोष को विनिर्दिष्ट करें जिसमें अनुतोष के आधार और अवलंब लिए गए विधिक उपबंधों (यदि कोई हो) स्पष्ट किया जाए ।]

8. यदि अंतरिम आदेश प्रार्थी हो :

आवेदन के अंतिम विनिश्चय के लंबित रहते हुए, आवेदक, निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करवाना चाहता है :- (यहां प्रार्थित अंतरिम आदेश की प्रकृति और उसके कारण बताएं ।)

9. किसी अन्य न्यायालय में मामले का लंबित न होना आदि

आवेदक यह भी घोषणा करता है कि वह मामला जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, किसी भी विधि के न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या किसी न्यायपीठ या अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है ।

10. आवेदन फीस की बाबत बैंक ड्राफ्ट / पोस्टल आर्डर का ब्यौरा

(1) उस बैंक का नाम जिस पर लिखा गया है :
(2) डिमांड ड्राफ्ट सं. :

या

(1) भारतीय पोस्टल आर्डर(रों) का संख्यांक :
(2) जारी करने वाले डाकघर का नाम :
(3) पोस्टल आर्डर(रों) को जारी करने की तारीख :
(4) वह डाकघर जहां संदेय है :

11. अनुक्रमणिका का ब्यौरा

उन दस्तावेजों के ब्यौरे वाली अनुक्रमणिका, दो प्रतियों में संलग्न है जिस पर भरोसा किया गया है ।
(इन दस्तावेजों में प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री और वसूली किए गए विक्रय आगम से संबंधित विक्रय प्रमाण-पत्रों या किसी अन्य दस्तावेज की प्रतियां सम्मिलित होनी चाहिए) ।

12. अनुलग्नकों की सूची :

सत्यापन

मैं ..... (स्पष्ट अक्षरों में नाम) जो श्री ..... का पुत्र / पुत्री / पत्नी हूं और जो ..... (कंपनी का नाम) का ..... (पदनाम) हूं तथा जिसके पास ..... (कंपनी का नाम) से विधिमान्य मुख्तारनामा है, यह सत्यापित करता हूं कि पैरा 1 से 11 की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैंने किसी तथ्य का छिपाया नहीं है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :
स्थान :

सेवा में,

रजिस्ट्रार
.....
.....
.....

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2002

S.O. 1020 (E). —In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (b) of Sub-section (2) of Section 38 read with Sub-Sections (4), (10) and (12) of Section 13 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Defination.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "authorised officer" means an officer not less than a chief manager of a public sector bank or equivalent, as specified by the Board of Directors or Board of Trustees of the secured creditor or any other person or authority exercising powers of superintendence, direction and control of the business or affairs of the secured creditor, as the case may be, to exercise the rights of a secured creditor under the Ordinance;

(b) demand notice means the notice in writring issued by a secured creditor or authorised officer, as the case may be, to any borrower pursuant to sub-Section (2) of Section 13 of the Ordinance;

(c) "Ordinance" means the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002);

(d) "approved valuer" means a valuer as approved by the Board of Directors or Board of Trustees of the secured creditor, as the case may be ;

(e) Words and expressions used and not defined in these Rules but defined in the Ordinance shall have the meanings respectively assigned to them in the Ordinance.

3. Demand Notice:—(1) The service of demand notice as referred to in Sub-section (2) of Section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

Provided that where authorised officer has reason to believe that the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service can not be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspapers, one in vernacular langauage, having sufficient circulation in that locality

(2) where the borrower is a body corporate, the demand notice shall be served on the registered office or any of the branches of such body corporate as specified under sub-rule(1).

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower, the demand notice shall be served on each borrower.

4. Procedure after issue of notice.—If the amount mentioned in the demand notice is not paid within the time specified therein, the authorised officer shall proceed to realise the amount by adopting any one or more of the measures specified in Sub-section (4) of Section 13 of the Ordinance for taking possession of movable property, namely:—

(1) Where the possession of the secured assets to be taken by the secured creditor are movable property in possession of the borrower, the authorised officer shall take possession of such movable property in the presence of two witnesses after a Panchanama drawn and signed by the witnesses as nearly as possible in Appendix-I to these rules.

(2) After taking possession under sub-rule (1) above, the authorised officer shall make or cause to be made an inventory of the property as nearly as possible in the form given in Appendix-II to these rules and deliver or cause to be delivered, a copy of such inventory to the borrower or to any person entitled to receive on behalf of borrower.

(3) The authorised officer shall keep the property taken possession under sub-rule (1) either in his own custody or in the custody of any person authorised or appointed by him, who shall take as much care of the property in his custody as an owner of ordinary prudence would, under the similar circumstances, take of such property:

Provided that if such property is subject to speedy or natural decay, or the expense of keeping such property in custody is likely to exceed its value, the authorised officer may sell it at once.

(4) The authorised officer shall take steps for preservation and protection of secured assets and insure them, if necessary, till they are sold or otherwise disposed of.

(5) In case any secured asset is :—

(a) a debt not secured by negotiable instrument; or

(b) a share in a body corporate;

(c) other movable property not in the possession of the borrower except the property deposited in or in the custody of any court or any like authority, the authorised officer shall obtain possession or recover the debt by service of notice as under :—

(i) in the case of a debt, prohibiting the borrower from recovering the debt or any interest thereon and the debtor from making payment thereof and directing the debtor to make such payment to the authorised officer; or

(ii) in the case of the shares in a body corporate, directing the borrower to transfer the same to the secured creditor and also the body corporate from not transferring such shares in favour of any person other than the secured creditor. A copy of the notice so sent may be endorsed to the concerned body corporate's Registrar to the issue or share transfer agents, if any;

(iii) in the case of other movable property (except as aforesaid), calling upon the borrowers and the person in possession to hand over the same to the authorised officer and the authorised officer shall take custody of such movable property in the same manner as provided in Sub-rule (1) to (3) above;

(iv) movable secured assets other than those covered in this rule shall be taken possession of by the authorised officer by taking possession of the documents evidencing title to such secured assets.

5. **Valuation of movable secured assets.**— After taking possession under sub-rule (1) of rule 4 and in any case before sale, the authorised officer shall obtain the estimated value of the movable secured assets and thereafter, if considered necessary, fix in consultation with the secured creditor, the reserve price of the assets to be sold in realisation of the dues of the secured creditor.

6. **Sale of movable secured assets.**—(1) the authorised officer may sell the moveable secured assets taken possession under sub-rule (1) of rule 4 in one or more lots by adopting any of the following methods to secure maximum sale price for the assets, to be so sold—

(a) obtaining quotations from parties dealing in the secured assets or otherwise interested in buying such assets; or

(b) inviting tenders from the public; or

(c) holding public auction; or

(d) by private treaty.

(2) The authorised officer shall serve to the borrower a notice of thirty days for sale of the movable secured assets, under sub-rule (1) :

Provided that if the sale of such secured assets is being, effected by either inviting tenders from the public or by holding public auction, the secured creditor shall cause a public notice in two leading newspapers, one in vernacular language, having sufficent circulation in that locality by setting out the terms of sale, which may include,—

(a) details about the borrower and the secured creditor;

(b) description of movable secured assets to be sold with identification marks or numbers, if any, on them;

(c) reserve price, if any, and the time and manner of payment;

(d) time and place of public auction or the time after which sale by any other mode shall be completed;

(e) depositing earnest money as may be stipulated by the secured creditor;

(f) any other thing which the authorised officer considers it material for a purchaser to know in order to judge the nature and value of movable secured assets.

(3) Sale by any methods other than public auction or public tender, shall be on such terms as may be settled between the parties in writing.

7. **Issue of certificate of sale.**—(1) Where movable secured assets is sold, sale price of each lot shall be paid as per the terms of the public notice or on the terms as may be settled between the parties, as the case may be, and in the event of default of payment, the movable secured assets shall be liable to be put up for sale again.

(2) On payment of sale price, the authorised officer shall issue a certificate of sale in the prescribed form as given Appendix-III to these rules specifying the movable secured assets sold, price paid and the name of the purchaser and thereafter the sale shall become absolute. The certificate of sale so issued shall be *prima facie* evidence of title of the purchaser.

(3) Where the movable secured assets are those referred in sub clauses (iii) to (v) of clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Ordinance, the provisions contained in these rule and rule 7 dealing with the sale of movable secured assets shall, mutatis mutandis, apply to such assets.

8. **Sale of immovable secured assets.**—(1) Where the secured asset is an immovable property, the authorised officer shall take or cause to be taken possession, by delivering a possession notice prepared as nearly as possible in Appendix IV to these rules, to the borrower and by affixing the possession notice on the outer door or at such conspicuous place of the property.

(2) The possession notice as referred to in sub-rule (l) shall also be published in two leading newspaper, one in vernacular language having sufficient circulation in that locality, by the authorised officer.

(3) In the event of possession of immovable property is actually taken by the authorised officer, such property shall be kept in his own custody or in the custody of any person authorised or appointed by him, who shall take as much care of the property in his custody as a owner of ordinary prudence would, under the similar circumstances, take of such property.

(4) The authorised officer shall take steps for preservation and protection of secured assets and insure them, if necessary, till they are sold or otherwise disposed off.

(5) Before effecting sale of the immovable property referred to in sub-rule (l) of rule 9, the authorised officer shall obtain valuation of the property from an approved valuer and in consultation with the secured creditor, fix the reserve price of the property and may sell the whole or any part of such immovabnle secured asset by any of the following methods :—

(a) by obtaining quotations from the persons dealing with similar secured assets or otherwise interested in buying the such assets; or

(b) by inviting tenders from the public;

(c) by holding public auction; or

(d) by private treaty.

(6) the authorised officer shall serve to the borrower a notice of thirty days for sale of the immovable secured assets, under sub-rule (5):

Provided that if the sale of such secured asset is being effected by either inviting tenders from the public or by holding public auction, the secured creditor shall cause a public notice in two leading newspapers one in vernacular language having sufficient circulation in the locality by setting out the terms of sale, which shall include, -

(a) the description of the immovable property to be sold, including the details of the encumbrances known to the secured creditor;

(b) the secured debt for recovery of which the property is to be sold;

(c) reserve price, below which the property may not be sold;

(d) time and place of public auction or the time after which sale by any other mode shall be completed;

(e) depositing earnest money as may stipulated by the secured creditor;

(f) any other thing which the authorised officer considers it material for a purchaser to know in order to judge the nature and value of the property.

(7) Every notice of sale shall be affixed on a conspicuous part of the immovable property and may, if the authorised officer deems it fit, put on the web-site of the secured creditor on the Internet.

(8) Sale by any methods other than public auction or public tender, shall be on such terms as may be settled between the parties in writing.

9. **Time of sale, Issue of sale certificate and delivery of possession, etc.**— (1) No sale of immovable property under these rules shall take place before the expiry of thirty days from the date on which the public notice of sale is published in newspapers as referred to in the proviso to sub-rule (6) or notice of sale has been served to the borrower.

(2) The sale shall be confirmed in favour of the purchaser who has offered the highest sale price in his bid or tender or quotation or offer to the authorised officer and shall be subject to confirmation by the secured creditor:

Provided that no sale under this rule shall be confirmed , if the amount offered by sale price is less than the reserve price, specified under sub-rule (5) of rule 9 :

Provided further that if the authorised officer fails to obtain a price higher than the reserve price, he may, with the consent of the borrower and the secured creditor effect the sale at such price.

(3) On every sale of immovable property, the purchaser shall immediately pay a deposit of twenty five per cent of the amount of the sale price, to the authorised officer conducting the sale and in default of such deposit, the property shall forthwith be sold again.

(4) The balance amount of purchase price payable shall be paid by the purchaser to the authorised officer on or before the fifteenth day of confirmation of sale of the immovable property or such extended period as may be agreed upon in writing between the parties.

(5) In default of payment within the period mentioned in sub-rule (4), the deposit shall be forfeited and the property shall be resold and the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.

(6) On confirmation of sale by the secured creditor and if the terms of payment have been complied with, the authorised officer exercising the power of sale shall issue a certificate of sale of the immovable property in favour of the purchaser in the Form given in Appendix V to these rules.

(7) Where the immovable property sold is subject to any encumbrances, the authorised officer may, if he thinks fit, allow the purchaser to deposit with him the money required to discharge the encumbrances and any interest due thereon together with such additional amount that may be sufficient to meet the contingencies or further cost, expenses and interest as may be determined by him.

(8) On such deposit of money for discharge of the encumbrances, the authorised officer may issue or cause the purchaser to issue notices to the persons interested in or entitled to the money deposited with him and take steps to make the payment accordingly.

(9) The authorised officer shall deliver the property to the purchaser free from encumbrances known to the secured creditor on deposit of money as specified in sub-rule (7) above.

(10) The certificate of sale issued under sub-rule (6) shall specifically mention that whether the purchaser has purchased the immovable secured asset free from any encumbrances known to the secured creditor or not.

10. **Appointment of Manager.**— (1) The Board of Directors or Board of Trustees, as the case may be, may appoint in consultation with the borrower any person (hereinafter referred to as the Manager) to manage the secured assets the possession of which has been taken over by the secured creditor.

(2) The Manager appointed by the Board of Directors or Board of Trustees, as the case may be, shall be deemed to be an agent of the borrower and the borrower shall be solely responsible for the commission or omission of acts of the Manager unless such commission or omission are due to improper intervention of the secured creditor or the authorised officer.

(3) The Manager shall have power by notice in writing to recover any money from any person who has acquired any of the secured assets from the borrower, which is due to may become due to the borrower.

(4) The Manager shall give such person who has made payment under sub-rule (3) a valid discharge as if he has made payments to the borrower.

(5) The Manager shall apply all the monies received by him in accordance with the provisions contained in sub-section (7) of Section 13 of the Ordinance.

11. **Procedure for Recovery of shortfall of secured debt.**— (1) An application for recovery of balance amount by any secured creditor pursuant to sub-section (10) of Section 13 of the Ordinance shall be presented to the Debts Recovery Tribunal in the form annexed as Appendix VI to these rules by the authorised officer or his agent or by a duly authorised legal practitioner, to the Registrar of the Bench within whose jurisdiction his case falls or shall be sent by registered post addressed to the Registrar of Debts Recovery Tribunal.

(2) The provisions of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 made under Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), shall *mutatis mutandis* apply to any application filed by under sub-rule (1).

(3) An application under sub-rule (1) shall be accompanied with fee as provided in rule 7 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

[F. No. 1/3/2002-B.O.I]
SHEKHAR AGARWAL, Jt. Secy.

APPENDIX-I

[rule-4(1)]

PANCHNAMA

WHEREAS;

We

Sr. No.	Name of Panch and Father's/ Husband's Name	Address	Age	Occupation

The above mentioned Panchs on being called by Shri————, the authorised officer of———— (name of the Institution), under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security (Second) Interest Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of the powers under Section 13(4) of the said Ordinance today entered the premises of Shri/M/s————at————, and demanded the payment of the dues mentioned in the demand notice dated———— in respect of Loan Account bearing No. and on its non-payment, taken over possession of movable properties as detailed in the inventory attached to this Panchnama between the hours————M and ———— ————M in our presence.

We also hereby state that during take over of possession————(to be filled in case of occurrence of any incidence)

Therefore, we declare that the facts of the Panchnama mentioned herein are true and correct to the best of our observations and knowledge.

1. Signature Date Time

   Name

   Address

2. -do-

Drawn before me Authorised Officer

APPENDIX-II

[rule-4(2)]

INVENTORY

Inventory of movables taken possession in Loan Account bearing No.————Inventory of movable properties taken possession of at the premises of Shri/M/s———— Plot No.————/Gala No.———— H.no.————, Street No.————of————under Section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 and the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 made thereunder, on this————day of———— 20—by Shri———— ————, authorised officer of———— ————(name of the Institution) under the said Ordinance, between the hours————M.

Sr. No.	Description of article	Estimated value	Place where kept for safe custody (Name of the person if necessary)

Panchas:

Sr. No.	Name and Address of Panch	Signatures

Drawn by me today the————20——————at————M.

Signature of Borrower/Representative

Signature of Authorised Officer

APPENDIX-III

[rule-7 (2)]

CERTIFICATE OF SALE

(for movable property)

Whereas

The undersigned being the authorised officer of the ————————(name of the institution) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 and in exercise of the powers conferred under Sub-section (12) of Section 13 read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 has in consideration of the payment of Rs.————(Rupees——————————) sold on behalf of the ——————————(name of the secured creditor/institution in favour of————(purchaser), the following movable property secured in favour of the ————————(name of the secured creditor) by——————————(the names of the borrowers) towards the financial facility ————————(description) offered by————————(secured creditor). The undersigned acknowledge the receipt of the sale price in full and hand over the delivery and possession of the items listed below.

Description of the movable property.

Sd/-

Authorised Officer

Date:

Place:

APPENDIX-IV

[rule-8(1)]

POSSESSION NOTICE

(for Immovable property)

Whereas

The undersigned being the authorised officer of the ——————

(name of the Institution) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated ————————calling upon the borrower Shri ————————/M/s——————————to repay the amount mentioned in the notice being Rs.—— ————(in words————————) with in 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Ordinance read with rule 9 of the said rules on this ———— day of ————————of the year————.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the ————————(name of the Institution) for an amount Rs.— ——————and interest thereon.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property consisting of Flat No.———/Plot No.——— In Survey No.———/City or Town Survey No.———/Khasara No.—————Within the registration Sub-district—————— and District——————

Bounded;

On the North by

On the South by

On the East by

On the West by

Sd/-

Authorised Officer

(Name of the Institution)

Date :

Place :

APPENDIX-V

[rule-9(6)]

SALE CERTIFICATE

(for Immovable property)

Whereas

The undersigned being the authorised officer of the ——————(name of the Institution) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13 read with rule 12 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 sold on behalf of the —————(name of the secured creditor/institution) in favour of ————(purchaser), the immovable property shown in the schedule below secured in favour of the ————— —(name of the secured creditor) by——————(the names of the borrowers) towards the financial facility ——————(description) offered by - — ———— —(secured creditor). The undersigned acknowledge the receipt of the sale price in full and handed over the delivery and possession of the scheduled property. The sale of the scheduled property was made free from all encumbrances known to the secured creditor listed below on deposit of the money demanded by the undersigned.

DESCRIPTION OF THE MOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Flat No.———/Plot No.———

In Survey No.———/City or Town Survey No.———/Khasara No.————

Within the registration sub-district—————— and District————

Bounded;

On the North by

On the South by

On the East by

On the West by

List of encumbrances

1.

2.

Sd/-

Authorised Officer
(Name of the Institution)

Date :

Place :

APPENDIX VI

FORM

[See rule 11(1)]

Application under sub-section (10) of Section 13 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002

For use in Office.

Date of filing———————————

Date of receipt by post———————————

Registration No.———————————

Signature

Registrar

IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

[Name of the place]

BETWEEN

A.B. APPLICANT

AND

C.D. DEFENDANT

Delete whichever is not applicable.

DETAILS OF APPLICATION :

1. *Particulars of the applicant*
   (i) Name of the applicant
   (ii) Address of Registered Office :
   (iii) Address for service of all notices:
2. *Particulars of the (defendant):*
   (i) Name of the (defendant) :
   (ii) Office address of the (defendant) :
   (iii) Address for service of all notices:
3. *Jurisdiction of the Tribunal:*

   The applicant declares that the subject-matter of the recovery of debt due falls within the jurisdiction of the Tribunal.

4. *Limitation :*

The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in section 24 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions (Act), 1993.

5. *Facts of the case :*

The facts of the case are given below: -[Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise].

6. *Details of recoveries made by sale of securities :*

[Give here security wise details of sale/s conducted and realizations, appropriations of sale proceeds towards, costs interest and principal amount and the balance amount to be recovered.]

7. *Relies sought :*

In view of me facts mentioned in para 5 above, the applicant prays for the the following relief(s) :-

[Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any relief upon).]

8. *Iterim order, if prayed for :*

Pending final decision on the application, the applicant seeks issue of the following interim order—

[Give here the nature of the interim order prayed for with reasons.]

9. *Matter not pending with any other court, etc :*

The applicant further declares that the matter regarding which this application has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribunal.

10. *Particulars of Bank Draft/Postal Order in respect of the application fee :*

(1) Name of the Bank on which drawn :

(2) Demand Draft No :

or

(1) Number of Indian Postal Order(s) :

(2) Name of the issuing Post Office :

(3) Date of issue of Postal Order(s) :

(4) Post Office at which payable :

11. *Details of Index :*

An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.

[Such documents should include copies of sale certificates or any other documents relating to sale of secured assets and sale proceeds realised].

12. *List of enclosures :*

Verification

I————————————I—————— (Name in full and block letters) son/daughter/wife of Shri————————————————————being the——————————(designation)————————————(name of the company) holding a valid power of attorney from——————————(name of the company) do hereby verify that the contents of paras 1 to 11 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Signature of the applicant

Place :

Date :

To

The Registrar

————

————

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.